न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नदबई

(पीठासीन अधिकारी– विनोद कुमार मीना, आर.ए.एस)

वाद संख्या – 105/2015

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र 212 (2) आर.टी.ए.

तारीख निर्णय – 07.06.2019

1. राधेश्याम पुत्र गिर्राज जाति ब्राम्हण निवासी उपाध्याय पाड़ा कस्बा नदबई तहसील नदबई

– प्रार्थीया

बनाम

1. जगदीश पुत्र किशन जाति ब्राम्हण निवासी निवासी उपाध्याय पाड़ा कस्बा नदबई तहसील नदबई
2. अशोक किशन जाति ब्राम्हण निवासी निवासी उपाध्याय पाड़ा कस्बा नदबई तहसील नदबई
3. गिरधारीलाल पुत्र किशन जाति ब्राम्हण निवासी निवासी उपाध्याय पाड़ा कस्बा नदबई तहसील नदबई
4. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार नदबई

– अप्रार्थीगण

उपस्थितः– 1. श्री फूलसिंह एडवोकेट
2.श्री रघुवीरशरण एडवोकेट

निर्णय

प्रार्थना पत्र 212 आर टी. ए.

प्रकरण में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीयागण द्वारा एक प्राथना पत्र अंतर्गत धारा 212 (2) आर टी ए के तहत पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजी खसरा

हाल आराजी खसरा न.संबत 2060	गत खसरा न. संबत 2028	गत खसरा न. 2028 से पूर्व
888/0.15	662/12 बिस्वा	544 मिन./18 बिस्वा
916/0.55	990/2 बीघा 3बिस्वा	544 मिन./3 बीघा 8बिस्वा
925/0.86	696/3 बीघा 8 बिस्वा	572/5बीघा 7 बिस्वा
1093/1.05	841/4बीघा 3बिस्वा	640/6 बीघा 10 बिस्वा

उपरोक्त आराजी वाके ग्राम नदबई प्रथम तहसील नदबई में स्थित है। जिसके इन्द्राजात गलत रूप से गैर सायल स. 1 लगायत 3 के नाम चले आ रहे है। खसरा न0 साबिक सायल के पिता गिर्राज पुत्र सामलिया की खुद काश्त की आराजी थी। जिसके इन्द्राजात खातेदारी संवत 2012 से पूर्व से ही सायल के पिता के नाम चले आ रहे है। इस संबंध में जमाबंन्दी संवत 2010 से 2013 पेश है। लेकिन बाद की जमाबंन्दी व भू. प्रबंधक संवत 2028 में गलती से उक्त आराजी का इन्द्राजात गैर साल के पिता किशन पुत्र सामलिया के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नाम दर्ज कर दिये जिसका कोई कानूनी महत्व नही है। तथा भू. प्रबंधक विीाग को बिना किसी सक्षमक` आदेश के उक्त प्रविष्टिया को बदलने का कोई कानूनी हक हासिल नही है। लिहाजा साल, तरतीवी प्रतिवादी स. 05 सहित पूर्व इन्द्राजात के मुताबिक पैत्रिक आराजी होने के कारण आराजी वाके कस्बा नदबई प्रथम पर वा हि. बराबर के खातेदार घोषित किया जाने के अधिकारी है। तथा वर्तमान इन्द्राजात को कलमजन किया जावें। सायल व तरतीवी प्रतिवादी स. 5 शुरू से ही पिता के देहान्त उपरान्त काबिज हो काश्त करते चले आ रहे है। लेकिन गैर सायल के नाम हो रहे गलत इन्द्रजात के आधार पर उन्होने दिनांक 20.11.2015 को धमकी दी कि वे आराजीमुतनाजा से सायल को बेदखल कर देगे व अन्य दीगर व्यक्तियो को विक्रय कर देगे। अगर गै सायल आनी दी धमकी में कामयाब हो गये तो सायल को अजीम क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरिये नकद ना हो सकेगी। लिहाजा साल खिलाफ गैर सायलान अस्थाई निषेज्ञाधा जारी करा पाने का अधिकारी है कि वे उक्त आजारी में कस्बा नदबई प्रथम में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहामत नही करें।

अन्त प्रार्थना की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. राज0 काश्त अधि0 सायल स्वीकार किया जाकर गैर सायललान को ता0 फैसला मुकदमा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वे उपरोक्त आराजी वर्णित प्रार्थना पत्र मद स. 2 कस्वा नदबई प्रथम तहसील नदबई में किसी प्रकार की मदाखलत मजाहामत नहीं करें। व सायल को बेदखल नही करे व अन्य दीगर व्यक्तियो को विक्रय नही करें। रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 किया जाकर अप्रार्थीगणो को नोटिस जारी किये गयें । अप्रार्थीगण स. 1 लगायत 3 की और से श्री रघुवीरशरण एण्ड़0 उपथित हुऐ । अप्रार्थी की और से अपना जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। प्रार्थीगण के वकील को नकल प्रार्थना पत्र दिलाई गयी तथा जबाब प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किया गया। तथा अपने जबाब में कहा कि उक्त प्रार्थना पत्र 212 (2)का न्यायालय श्रीमान् में प्रार्थी सायल द्वारा जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें विवादित आराजी के हाल ख0न0 गत ख0न0 मिलान क्षैत्रफल के अनुसार बने है तथा विवादित आराजी हम अप्रार्थीगण के इन्द्राजात गलत रूप से ना होकर सही हो रही है। विवादित आराजी के साबिक ख0न0 पर अकेले सायल के पितागिर्राज पुत्र सावलिया की खुद काश्त न होकर हम गैर सायलान के पिता किशन की वा हि. ब. खुद काश्त की आराजी है। तथा उक्त आराजी सायल व तर प्रतिवादी स. 5 के पिता गिर्राज एवं हम गैर सायलान के पिता किशन पुत्र सावलिया की हिन्दू सयुक्त परिवार की सह विश्वेदारी एवं खुद काश्त की आरजी है। तथा सायल एवं तरतिवि प्रतिवादी स. 5 के पिता गिर्राज एव हम गैर सायल के पिता किशन भाई थे। जो सावलिया के पुत्र थे। परन्तु परिवार में सायल के पिता सबसे बडे सदस्यो होने के कारण रिकार्ड में विवादित आराजी पर केवल गिर्राज की खुद काश्त दर्ज होने से हम गैर सायलान के पिता किशन के हक समाप्त नही होते तथा मौके पर विवादित आराजी पर कब्जा हम गैर सायलान के पिता किशन तथा सायल व तर.प्रतिवादी स. 5 के पिता गिर्राज वा हि.बा. काबिज चले आ रहे है। तथा इसी अनुरूप संवत 2014 लगायत 2017 की जामाबंन्दी में मनवट से विवादित आराजी के साबिक ख0न0 पर हम प्रतिवादीगण के पिता की खातेदारी दर्ज की गई इसके बाद सभी जमाबंन्दीया में साबिक ख0न0 पर गैर सायलान के पिता किशन की खातेदारी दर्ज की गई तथा उनकी मृत्यु के बाद हम गैर सायलान खातेदारी दर्ज चली आ रही है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जो आज तक बदस्तूर है। मौके पर कब्जा हम प्रतिवादीगण के पिता का चला आ रहा है। इससे पूर्व भी हमारा कब्जा चला आ रहा है। सायल का विवादित आराजी पर कभी भी कब्जा नही रहा है। इसलिए प्राइमाफेसी केस हम गैरसयालान के हक में है। हमारे द्वारा सयाल को कोई धमकी नही दी गई। किसी प्रकार का विवादित आराजी पर साय का कब्जा नही है। इसलिए हम अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी नही है। इसलिये उक्त प्रार्थना पत्र काबिली खारिज है।

प्रार्थी वकील द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी संवत् 2070–73 वाके कस्बा नदबई प्रथम, नकल फोटो प्रति मिलान क्षैत्रफल संवत 2060 वाके कस्बा नदबई प्रथम ,नकल जमाबंन्दी संवत 2010 से 2013 वाके कस्बा नदबई प्रथम, नकल खसरा गिरदावरी संवत 2029 से 2032 वाके कस्बा नदबई प्रथम।

अप्रार्थी वकील द्वारा आपने समर्थन में नकल फोटो प्रति दाखिला खारिज संवत 2001 ता0 08.06.1945, नकल फोटो प्रति पर्चा खतौनी संवत 2029 वाके नदबई, नकल फोटो प्रति पर्ख खतौनी संवत 2021 वाके नदबई। नकल फोटो प्रति मिलान क्षैत्रफल संवत 2060 वाके कस्बा नदबई प्रथम ,नकल फोटो प्रति प्रार्थना पत्र प्राप्त करने प्रतिलिपि तहसीलदार नदबईदिनांक 04.10.16 नकल फोटो प्रति प्रार्थना पत्र प्राप्त करने सदर कानूनगो भरतपुर दिनांक 17.11.16, नकल फोटो प्रति जमाबंन्दी संवत 2028 खाता स. 305, फोटो प्रति जमाबंन्दी संवत 2028, नकल फोटो प्रति जमाबंन्दीं सवत 2028, फोटो प्रति जमाबंन्दी संवत 2060 वाके नदबई, फोटो प्रतिजमाबंन्दी संवत 2010 लगायत 2013 वाके कस्बा नदबईकिता 3, फोटो प्रति जमाबंन्दी संवत 2010 से 2013 किता 6 वाके कस्बा नदबई, फोटो प्रति जमाबंन्दी संवत 2014 लगायत 2017 वाके कस्बा नदबई, फोटो प्रति खसरा गिरदावरी संवत 2020 लगायत 2022 वाके कस्बा नदबई, फोटो प्रति खसरा गिरदावरी संवत 2023 से 2026 वाके कस्बवा नदबई जो शामिल पत्रावली किये गये।

बहस प्रार्थना पत्र 212 आर टी ए उभयपक्षकारान की विद्वान वकीलों की बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील द्वारा बहस दौरान कहा प्रार्थना पत्र की मद संख्या वर्णित विवादित आराजीयात हाल खसरा नं. एवं गत खसरा नं. संवत् 2028 व 28 से पूर्व के वर्णित हैं। उक्त विवादित आराजी वाके नदबई प्रथम स्थित है जिसके इन्द्राजात गलत रूप से अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के नाम चले आ रहे हैं जो प्रार्थी के पिता गिर्राज पुत्र सामलिया के खुदकाश्त के आराजी हैं जिसके इन्द्राजात खातेदारी संवत् 2012 से पूर्व की प्रार्थी के पिता गिर्राज के नाम चले आ रहे हैं। उक्त संबंध में 2010 से 2013 पेश की है लेकिन उसके बाद जमाबंदी व भू प्रबंध विभाग संवत् 2028 में गलती से उक्त इन्द्राजात प्रतिवादीगण के पिता किशन पुत्र सामलिया के नाम दर्ज कर दी है। भू प्रबंध विभाग द्वारा बिना किसी अधिकार के उक्त प्रविष्टियों को बदलने का कोई कानूनी हक हासिल नहीं है। वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण 5 सहित पूर्व के इन्द्राज के मुताबिक पैतृक आराजी होने से बाहिस्सा बराबर हकदार है जो काबिल दुरूस्ती के है। वादी व प्रतिवादी संख्या 5 शुरू से ही पिता के देहान्त के बाद काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं प्रतिवादीगण के नाम चले आ रहे गलत इन्द्राजात के आधार पर वादी /प्रार्थी को दिनांक 20.11.15 को धमकी दी कि विवादित आराजी से प्रार्थी को बेदखल कर देंगे तथा अन्य दीगर व्यक्ति को विक्रय कर देंगे इसलिये प्राइमाफेसी सुविधा का संतुलन अपरिमित क्षति प्रार्थी के हक में बखूबी साबित है तथा मूल दावे में तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य लिए जाकर मैरिट पर तय होना है। इसलिए जब तक जारी शुदा स्थगन आदेश को ताफैसला दावा कन्फर्म किया जाकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे। विवादित आराजी को रहन व मुन्तकिल न करे। रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

वकील गैर सायलान का कहना है कि उक्त विवादित आराजी की हाल खसरा नं. गत खसरा नंबरान् मिलान क्षेत्रफल के अनुसार बने हैं। हम प्रतिवादीगण के नाम विवादित आराजी पर गलत इन्द्राजात न होकर सही खातेदारी अंकित हो रही है। उक्त आराजी के साबिक खसरा नम्बरान अकेले वादी के पिता गिर्राज पुत्र सामलिया की न होकर हम अप्रार्थीगण के पिता किशन की बाहिस्सा बराबर खुदकाश्त की आराजी है। वादी व प्रतिवादीगण के पिता गिर्राज और हम प्रतिवादीगण के पिता किशन पुत्र सामलिया की हिन्दू संयुक्त परिवार की सविश्वेदारी एवं खुदकाश्त की आराजी है। वादी व तरतीवी प्रतिवादी की संख्या 5 के पिता गिर्राज और हम प्रतिवादीगण के पिता किशन पुत्र सामलिया दोनों खास भाई थे जो सामलिया की संतान थी। प्रार्थीगण के पिता गिर्राज हिन्दू संयुक्त परिवार में सबसे बडे होने के कारण विवादित आराजी पर केवल गिर्राज की खुदकाश्त की दर्ज अंकित होने से हम प्रतिवादीगण के पिता किशन के हक समाप्त नहीं होते हैं और उक्त आराजी पर हम प्रतिवादीगण वादी बहिस्सा बराबर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे थे। तथा बाद में सहविश्वेदारी की आराजीयात पर हर सहविश्वेदार मनवट से अलग–अलग काबिज होने के कारण संवत् 2014 लगायत 2017 की जमाबंदी में हमारे पिता किशन की आराजी के साबिक खसरा नं. 544, 572, 640 पर खुदकाश्त दर्ज की गई। इसी अनुरूप वादी व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 5 के पिता गिर्राज की साबिक खसरा नं. 601 व 571 खुदकाश्त दर्ज की गई तथा इसके बाद इसी अनुसार हमारे पिता किशन की साबिक खसरा नं. 544, 572, 640 पर खातेदारी अंकित की गई जो संवत् 2028 से पूर्व की जमाबंदी में बदस्तूर चली आ रही है। इसके बाद सैटलमेंट विभाग संवत् 2028 में जमाबंदी बनाई उसमें साबिक खसरा नं. 544, 572, 640 के नये खसरा नं. 662, 690, 696, 841 बनाये गये। उन पर भी हमारे पिता की खातेदारी दर्ज की गई। जो संवत् 2060 से आज तक चली आ रही है। इसके बाद संवत् 2060 में सैटलमेंट विभाग ने जमाबंदी संवत् 2060 की बनाई गई जिसमें साबिक खसरा नं. 662, 690, 696, 841 के नये खसरा नं. 888, 916, 925, 1093 बनाये गये। उस पर भी हमारी खातेदारी अंकित हो रही है। हमारे पिता किशन की मृत्यु के बाद विरासत से हमारे नाम बाहिस्सा बराबर खातेदारी दर्ज आज तक बदस्तूर चली आ रही है। इस प्रकार भू प्रबंध विभाग ने 2028 में जमाबंदी बनाई वो पूर्व के इन्द्राजात के आधार पर बनाई गई जो सही है क्योंकि पूर्व के इन्द्राजात पर भी हमारे पिता के किशन की खातेदारी दर्ज थी जबकि भू प्रबंध विभाग के द्वारा निर्मित जमाबंन्दी से पूर्व वादी व तर.प्रतिवादी स. 5 पर किसी प्रकार के कोई इन्द्राजात नही है। इस प्रकार से सैटलमैट विभाग ने किसी प्रकार की कोई कानून ही अवहेलना नही की है। हमारे पिता किशन की खातेदारी के इन्द्राजात सही दर्ज कियो गये। जहां तक विवादित आराजी का सवाल है आराजी शुरू से ही हमारे पिता की खाजेदारी में रही है। तथा कब्जे काश्त में रही है। तथा उनकी मृत्यु के बाद हम प्रतिवादीगण वाहिबा काबिज चले आ रहे है। वादी का कोई कब्जा नही रहा है। इसलिए विवादित आराजी पर प्रार्थी खातेदारी घोषित नही कराने का अधिकारी है। न ही इन्द्राजात कलमजन के है। नही हमारे द्वारा कोई धमकी दी गयी ना ही कोई प्रार्थी का कोई कब्जा नही रहा है। ना ही वादी को अजीम क्षति होने की कोई अंदेशा नही है। इसलिए हुक्मइम्तनाई की डिक्री से पाबन्द किया जा सकता है। अत– प्राईमाफेसी केस व सुविधा का सन्तुलन एवं अपरमिति क्षति हम को हो रही है। इसलिए जारी शुदा स्थगन आदेश खारिज किया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बहस प्रार्थना पत्र 212 आर. टी. ए. प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि वादी/प्रार्थी ने अपने प्रार्थनापत्र के समर्थन में नकल जमाबंन्दी संवत 2070 लगायत 2073 पेश कि गयी जिसमें विवादित आराजी हाल ख0न0 888, 916, 925, 1093 वाके कस्बा नदबई प्रथम पर अप्रार्थीगण की खातेदारी का अंकन हो रहा है। तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल मिलान क्षैत्रफल संवत 2060 के अनुसार उक्त खसरा नम्बरान साबिक खसरा नम्बर 662 ,690 ,696, 841 से बने है। तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल खसरा गिरदावरी संवत 2029 लगायत 2032 के अनुसार 662 ,690 ,696 ,841 पर अप्रार्थीगण के पिता किशन पि. सावलिया की खातेदारी का अंकन हो रहा है। तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबंन्दी संवत 2010 लगायत 2013 के अनुसार ख0न0 544, 572, 640 पर व अन्य अराजी पर खुद काश्त गिर्राज हिस्सेदार की अंकित है। इसी के आधार पर वादी/ प्राथी सम्पूर्ण विवादित आराजी पर खातेदारी की घोषणा चाहा रहा है । परन्तु वादी/ प्रार्थी ने संवत 2028 का मिलान क्षैत्रफल पेश नही किया गया जिसके अभाव में विवादित आराजी का खसरा नम्बर क्या है। और न ही खातेदारी अंकन का रिकार्ड पेश नही किया है। और नही उक्त आराजीयात पर काश्त होने का कोई दस्तावेज पेश किया गया है। इसके आधार पर प्रार्थी के हक में प्राईमाफेस केस नही माना जा सकता। दूसरी तरफ अप्रार्थीगण ने नकल जमाबंन्दी संवत हाल संवत 2070 लगायत 2073 , नकल जमाबंन्दी संवत 2060 में अप्रार्थीगण कि विवादित आराजी पर खातेदारी का अंकन है। तथा नकल जमाबंन्दी संवत 2028 में इसके साबिक खसरा नम्बरान पर अप्रार्थीगण के पिता किशन पुत्र सावलिया की खातेदारी अंकित है। तथा इससे पूर्व की जमाबंन्दी रेकार्ड उपलब्ध न होने के कारण अप्रार्थीगण ने खसरा गिरदावरी संवत 2020 लगायत 2022, तथा संवत 2023 लगायत 2026 पेश की है। उसमें भी संवत 2028 के पूर्व के साबिक ख0न0 544 ,640 ,572 में खातेदार व काश्त का अंकन अप्रार्थीगण के पिता किशन पुत्र सावलिया का अंकन चला आ रहा है। तथा नकल जमाबंन्दी संवत 2014 लगायत 2017 में भी ख0न. 544 रकवा 6 बीघा 9 विस्वा तथा ख0न0 640 रकवा 1 बीघा 10 विस्वा तथा 572 रकावा 5 बीघा 8विस्वा पर खुद काश्त किशन की अंकित है। इस प्रकार से विवादित आराजी पर संवत 2014 से आज तक अप्राथीगण व उसके पिता की खातेदारी काश्त अंकित चली आ रही है। इस प्रकार से प्राईमाफेसी केस अप्रार्थीगण के हक में बखूबी साबित होती है। जहां तक वादी /प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबंन्दी संवत 2010 लगायत 2013 केस सवाल है प्रार्थी के पिता किशन तथा अप्रार्थी के पिता गिर्राजशरण एक ही पूर्वज सावलिया की सन्तान है। जो अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दाखिला खारिज से स्पष्ट है। तथा नकल जमाबंन्दी संवत 2010 लगायत 2013 में कॉलम 4 में गिर्राज व किशन पि. सावलिया का अंकन हो रहा है। ऐसी स्थिति में नकल जमाबंन्दी संवत 2010 लगायत 2013 खुद काश्त केवल गिर्राज अकित होने से अप्रार्थीगण के पिता सावलिया के हक समाप्त नही होते है तथा गिर्राज के साथ सावलिया की काश्त साथ होने के करण नकल जमाबंन्दी संवत 2014 लगायत 2017 में मनवट से ख0न0 544 ,640 ,572, पर किसन काश्त होने के कारण उक्त जमाबंन्दी में खुद काश्त अंकित की गई तथा उसके आधार पर आगे के जमाबंन्दी उपलब्ध ना होने के कारण समस्त खसरा गिरदावारी में अप्राथीगगण के पिता किसन की खातेदारी व काश्त अंकित की गई। इस प्रकार से प्रार्थी के हक में विवादित आराजी पर किसी प्रकार का **प्राईमाफेसी हक नही बनता** दूसरी तरफ अप्रार्थीगण का उक्त विवेचन से स्पष्ट प्राइमाफेसी केस बनता है। **सुविधा सन्तुलन एवं अपरमितिक्षति उक्त विवेचन है कि** जब प्रार्थी के हक मे किसी प्रकार

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

से प्राईमाफेसी केस बनता नही है फिर भी अप्रार्थी का अस्थाई निषेज्ञाधा से पाबन्द किया जाता है। तो अपरमिति क्षति अप्रार्थीगण को होगी। अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में बताया कि अप्रार्थी की खातेदारी की आराजी का कुछ रकवा राज्य सरकार ने सड़क में अधिकृत कर लिया है तथा स्थगन आदेश के कारण अप्राथीगण को मुआवजा भी नही मिल रहा है। इसलिए अप्रार्थीर्गण को आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। जबकि प्रार्थी को स्थगन जारी न होने से क्षति नही करता है। प्रार्थी केवल विवादित आराजी को रहन बय न करने हेतु अप्रार्थी को अस्थाई निषेज्ञाधा से पाबन्द करना चाहाते है। परन्तु जब प्रार्थी अपने हक में प्राईमाफेसी केस नही कर पाये तो अप्रार्थी के हक में अस्थाई निषेज्ञाधा जारी नही किया जा सकता है। क्योकि इस प्रकार के स्थगन से राजस्व हानि होती है। **अतः सुविधा सन्तुलन एवं अपरमिति क्षति प्रार्थी के हक में न होकर अप्रार्थीगण के हक में है।** अतः उक्त विवेचन से प्राईमाफेसी के सुविधा का सन्तुलन एवं अपरमिति क्षति प्रार्थी के हक में न होकर अप्रार्थी के हक में अत प्रार्थना पत्र काबिल खारिजी के है।

अतः आदेश है कि इस न्यालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 28.12.2015 .खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो ।

निर्णय आज दिनांक 07.06.2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल ुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(विनोद कुमार मीना)
उपख अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official